PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Navbharat Times, Delhi
Sunday 27th April 2014, Page: 8
Width: 8.25 cms, Height: 16.44 cms, a4, Ref: pmin.2014-04-27.25.39

दवा कंपनियों पर कोई कंट्रोल नहीं

■ सुरेश उपाध्याय, नई दिल्ली

नया ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर (डीपीसीओ) लागू होने के बाद भी दवा कंपनियों की मनमानी जारी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दवा कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष में कंज्यूमर्स की जेब से दवाओं की मनमानी कीमत वसूल करते हुए करीब 385 करोड़ रुपये ज्यादा निकाल लिए। इस मनमानी को रोकने और ज्यादा लिए गए पैसों की वसूली के लिए नैशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (एनपीपीए) ने दवा कंपनियों को 89 नोटिस जारी किए हैं। सरकार अब तक ज्यादा लिए गए पैसों में से महज 40 करोड़ रुपये की ही वसूली कर पाई है।

दवा कंपनियां पिछले करीब 17 सालों में प्राइस कंट्रोल के दायरे में आने वाली दवाओं को मनमाने दामों पर बेचते हुए आम जनता की जेब से करीब 3400 करोड़ रुपये ज्यादा वसूल चुकी हैं। इसमें से महज 274.43 करोड़ रुपये की वसूली ही सरकार अब तक कर पाई है।

सरकार ने पिछले साल नया डीपीसीओ जारी किया था। इसके तहत 348 बल्क ड्रग्स और इनके संयोग से बनने वाली 654 दवाओं को सरकार द्वारा तय मूल्य से ज्यादा पर नहीं बेचा जा सकता। इससे पहले जारी डीपीसीओ के दायरे में महज 74 बल्क ड्रग्स आती थीं। सरकार ने कई स्वयंसेवी संगठनों और अन्य लोगों द्वारा दवाओं की मनमानी कीमतों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के बाद ज्यादा दवाओं को प्राइस कंट्रोल के दायरे में रखा था। दवा कंपनियां इससे नाखुश थीं और लगातार इसका विरोध कर रही थीं। इसके विरोध में कई दवा कंपनियों कोर्ट में भी चली गई थीं। हालांकि वहां से ज्यादातर के हाथ निराशा ही लगी थी।

एनपीपीए ने जिन कंपनियों को नोटिस भेजे हैं उनमें से ज्यादातर मल्टिनैशनल दवा कंपनियां हैं। नए डीपीसीओ से पहले भी इन्हीं कंपनियों ने जनता से ज्यादा पैसे वसूले थे। कोर्ट जाने वाली कंपनियों में भी इन्हीं की संख्या ज्यादा थी। वैसे, इस बार नोटिस मिलने के बाद कुछ दवा कंपनियों ने अपनी दवाओं के रेट कम करने का ऐलान किया है। इससे पैरासिटामॉल जैसी दवा के दामों में 50 प्रतिशत तक की कमी आई है।

Pricing.